अध्याय I: परिचय

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

अनुपालन लेखापरीक्षा का तात्पर्य है लेखापरीक्षित इकाईयों के व्ययों, प्राप्तियों तथा परिसंपत्तियों एवं देयताओं से संबंधित लेन-देन की जाँच करना यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारतीय संविधान के प्रावधानों तथा सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, आदेशों, अनुदेशों का अनुपालन हो रहा है तथा इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के संबंध में उनकी विधिसंगतता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, दूरदर्शिता तथा प्रभावशीलता का भी निर्धारण करना है।

लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) की ओर से, उनके द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्दिष्ट करते हैं जो लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के दौरान अनुसरण किए जाने हेतु अपेक्षित हैं तथा जिनमें लेखापरीक्षित इकाईयों के वित्तीय प्रबंधन एवं आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली में विद्यमान कमजोरियों के साथ-साथ अनुपालन न किए जाने वाले तथा दुरूपयोगों के अलग-अलग मामलों को सूचित करना होता है। लेखापरीक्षा परिणामों/अभ्युक्तियों से यह अपेक्षित है कि वे कार्यकारिणी को सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु तथा ऐसी नीतियों एवं प्रक्रियाओं को निर्मित करने में समर्थ बनाएंगे जिनसे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस तरह बेहतर शासन में योगदान देंगे।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना एवं सीमा विस्तार का वर्णन करने के अतिरिक्त आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों (जैसा कि **परिशिष्ट-I** में सूचीबद्ध) के व्यय का तथा उनके वित्तीय प्रबंधन का एक संक्षिप्त विश्लेषण उपलब्ध कराता है। आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों तथा उनके स्वायत्त निकायों[1] की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न परिणामों/अभ्युक्तियों को अध्याय II से VIII में प्रस्तुत किया गया है।

1.2 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सीएंडएजी द्वारा लेखापरीक्षा करने एवं संसद को प्रतिवेदित करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 व 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (अधिनियम) से प्राप्त किया जाता है।

---

[1] *31.3.2018 को, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत 62 सीएबी थे।*

सीएंडएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 13[2] व धारा 17[3] के अंतर्गत करता है।

संसद अथवा उसके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत स्थापित किए गए निकायों तथा जिसमें सीएंडएजी द्वारा लेखापरीक्षा के विशिष्ट प्रावधान हैं, उनकी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 19(2) के अंतर्गत सांविधिक रूप से की जाती है। अन्य संगठनों (निगमों या सोसाइटियों) की लेखापरीक्षा, लोक हित में अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत सीएंडएजी को दी गई है। इसके अतिरिक्त निकायों/प्राधिकरणों जिन्हें भारत की संचित निधि से पर्याप्त रूप से अनुदान/ऋण से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा सीएंडएजी द्वारा अधिनियम के खंड 14(1) के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन

अनुपालन लेखापरीक्षा, सीएंडएजी द्वारा लागू लेखापरीक्षा मानकों में उल्लेखित सिद्धांतों एवं चलन के अनुसार निष्पादित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया का प्रारंभ किए गए व्यय, गतिविधियों की गहनता/जटिलता, प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के स्तर, आंतरिक नियंत्रण के आकलन तथा हिस्सेदारों के सरोकारों के आधार पर संपूर्ण मंत्रालय/विभाग तथा उसकी प्रत्येक इकाई के जोखिम के आकलन के साथ होता है। इस कार्य में पिछले लेखापरीक्षा परिणामों पर भी विचार किया जाता है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृति एवं विस्तार निर्धारित किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार के जोखिम आकलन के आधार पर एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है। चयनित/नियोजित इकाइयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, इकाई प्रमुख को लेखापरीक्षा परिणामों से युक्त निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। इकाईयों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा परिणामों के उत्तर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं तो या तो लेखापरीक्षा परिणामों का निपटान कर दिया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवदेनों से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को पृथक रूप से ड्राफ्ट पैरों के रूप में प्रशासकीय मंत्रालयों/ विभागों के प्रमुखों को उनकी टिप्पणी के लिए जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा

---

[2] *(i) भारत की समेकित निधि से सभी प्रकार का व्यय (ii) आकस्मिक निधि तथा लोक लेखे से संबंधित सभी लेन-देन (iii) सभी ट्रेड़िग, विनिर्माण, लाभ और हानि खाते, तुलन पत्रों और अन्य सहायक लेखों, की लेखापरीक्षा।*

[3] *संघ या किसी राज्य के किसी भी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के खातों की लेखापरीक्षा और रिपोर्ट।*

प्रतिवेदनों, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में शामिल करने हेतु उन पर कार्रवाई की जाती है।

1.4 बजट एवं व्यय

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि 2017-18 और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बजट और व्यय की तुलनात्मक स्थिति 16 आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों (विभागवार जहाँ भी लागू हो) तथा वित्त मंत्रालय के तीन विभागों के संबंध में तालिका 1.1 में नीचे दी गई है:-

तालिका 1.1: आर्थिक एवं सेवा मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के सापेक्ष अव्ययित बजट का प्रतिशत	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट प्रावधान के सापेक्ष अव्ययित बजट का प्रतिशत
	2017-18				2016-17			
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच)	1,22,898.47	1,17,152.83	5,745.64	4.68%	1,41,590.14	94,752.09	46,838.05	33.08%
वित्त मंत्रालय								
वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस)	1,07,742.08	1,06,768.31	973.77	0.09%	37,341.94	31,068.88	6,273.06	16.80%
आर्थिक कार्य विभाग (डीईए)	15,690.42	9,490.22	6,200.20	39.52%	28,447.59	15,092.16	13,355.43	46.95%
निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम)	44.00	32.19	11.81	26.84%	40.00	14.11	25.89	64.73%

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय								
उर्वरक विभाग (डीओएफ)	94,797.23	89,788.57	5,008.66	5.28%	74,139.40	70,130.19	4,009.21	5.41%
रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग	658.28	612.11	46.17	7.01%	202.45	166.77	35.68	17.62%
औषध विभाग	266.11	252.41	13.70	5.15%	311.42	307.57	3.85	1.24%
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	36,860.59	33,192.11	3,668.48	9.95%	31,691.78	30,231.29	1,460.49	4.61%
शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी)	38,037.78	31404.55	6,633.23	17.44%	35,531.57	32,297.61	3,233.96	9.10%
विद्युत मंत्रालय (एमओपी)	17,966.44	15,017.90	2,948.54	16.41%	17,391.01	11,768.35	5,622.66	32.33%
आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एमओएचयूपीए)	9,256.01	9,201.91	54.10	0.58%	5,411.05	5,220.99	190.06	3.51%
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)	6,482.01	6,222.18	259.83	4.01%	5,168.71	3,650.07	1,518.64	29.38%
वस्त्र मंत्रालय	6,272.82	5,940.18	332.64	5.30%	6,784.28	6,227.50	556.78	8.21%
नागर विमानन मंत्रालय	2,789.29	2,664.12	125.17	4.49%	3,521.46	3,405.79	115.67	3.28%
पोत परिवहन मंत्रालय	2,116.76	1,862.53	254.23	12.01%	1,955.20	1,734.92	220.28	11.27%
पर्यटन मंत्रालय	1,840.80	1,766.09	74.71	4.06%	1,670.94	1,638.60	32.34	1.94%
कोयला मंत्रालय (एमओसी)	1,445.11	1,411.19	33.92	2.35%	1,656.36	1,338.04	318.32	19.22%
खान मंत्रालय	1,460.49	1,349.00	111.49	7.63%	1,213.51	1,075.97	137.54	11.33%
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए)	588.85	526.42	62.43	10.60%	419.94	397.27	22.67	5.40%
इस्पात मंत्रालय	44.14	43.20	0.94	2.13%	748.15	437.80	310.35	41.48%

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय								
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)	6,134.48	4,053.64	2,080.84	33.92%	3,037.72	1,995.15	1,042.57	34.32%
भारी उद्योग विभाग (डीएचआई)	2,600.03	1,104.62	1,495.41	57.52%	8,376.44	8,350.41	26.03	0.31%
लोक उद्यम विभाग (डीपीई)	19.38	18.69	0.69	3.56%	20.42	17.09	3.33	16.31%
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय								
वाणिज्य विभाग (डीओसी)	5,664.01	5,586.45	77.56	1.37%	4,571.50	4,512.33	59.17	1.29%
कुल	**4,81,675.58**	**4,45,461.42**	**36,214.16**	**7.52%**	**4,11,242.98**	**3,25,830.95**	**85,412.03**	**20.77%**

स्रोतः- संबंधित वर्षों के विनियोग खाते

**वर्ष 2017-18 के दौरान आवासन और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को आवासन और शहरी कार्यों का मंत्रालय बनाकर विलय कर दिया गया था। हालांकि, तुलनात्मक उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसे अलग से दर्शाया गया है।*

भारत सरकार के उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय, 2016-17 के दौरान ₹3,25,830.95 करोड़ की तुलना में 2017-18 के दौरान ₹4,45,461.42 करोड़ था जो कि ₹1,19,630.47 करोड़ (36.71 प्रतिशत) अधिक था। 2017-18 के दौरान इन मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए गए ₹4,45,461.42 करोड़ के कुल व्यय में से 26.30 प्रतिशत व्यय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसके बाद वित्तीय सेवाएं विभाग तथा उर्वरक विभाग (क्रमशः 23.97 प्रतिशत तथा 20.16 प्रतिशत) आते हैं।

2016-17 की तुलना में 2017-18 के दौरान उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों के वास्तविक व्यय में अंतर (वृद्धि/कमी) था। पिछले साल की तुलना में वास्तविक व्यय में न्यूनतम से अधिकतम सीमा तक की वृद्धि तथा कमी 5.47 प्रतिशत[4] तथा 2.76 प्रतिशत[5] से 267.04 प्रतिशत[6] तथा 90.13 प्रतिशत[7] तक क्रमशः देखी गई।

पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान महत्वपूर्ण रूप से वास्तविक व्यय में वृद्धि वाले मंत्रालय/विभाग रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग,

---

[4] *कोयला मंत्रालयः {(₹1411.19 करोड़ - ₹1338.08 करोड़)/ ₹1338.08 करोड़}*100*

[5] *शहरी विकास मंत्रालय: {(₹32297.61 करोड़ - ₹31404.55 करोड़)/ ₹32297.61 करोड़}*100*

[6] *रसायन एवं पेट्रोरसायन विभागः {(₹612.11 करोड़ - ₹166.77 करोड़)/ ₹166.77 करोड़}*100*

[7] *इस्पात मंत्रालयः{(₹437.80 करोड़ - ₹43.20 करोड़)/ ₹437.80 करोड़}*100*

डीआईपीएएम, डीआईपीपी, एचयूपीए तथा एमएसएमई थे। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान इस्पात मंत्रालय, डीएचआई तथा डीईए के व्यय में उल्लेखनीय कमी देखी गई।

2017-18 के ₹4,81,675.58 करोड़ के कुल बजट प्रावधान पर मंत्रालयों/ विभागों का समग्र अप्रयोज्य बजट, 2016-17 के 20.77 प्रतिशत अप्रयोज्य बजट के सापेक्ष, ₹36,214.16 करोड़ था जो कि कुल अनुदान/विनियोजन का 7.52 प्रतिशत था।

1.5 उपयोग प्रमाणपत्र

सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार, सांविधिक निकायों/संगठनों को दिए गए अनुदानों के उपयोग प्रमाणपत्रों (यूसी) को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 12 माह के अंदर संबंधित निकायों/संगठनों द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। **परिशिष्ट-II** में 15 मंत्रालयों/विभागों द्वारा मार्च 2017 तक निर्गत अनुदान के संदर्भ में ₹21,342.11 करोड़ के कुल 7,509 बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, की स्थिति (मार्च 2018 को) का मंत्रालय/विभाग-वार विवरण दिया गया है, जो उस वित्तीय वर्ष के 12 माह के बाद से बकाया थे जिसमें अनुदान निर्गत किये गए थे। इन ₹21,342.11 करोड़ के 7,509 उपयोग प्रमाणपत्रों के संबंध में, कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि राशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई थी जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा अनुमोदित/अधिकृत किया गया था। उपयोग प्रमाणपत्रों की उच्च बकाया का होना, निधि के दुष्प्रयोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है। बकाया उपयोग प्रमाणपत्र की आयु-वार स्थिति नीचे तालिका 1.2 में दी गई है:

तालिका 1.2: बकाया उपयोग प्रमाणपत्र।

(₹ करोड़ में)

वर्ष संख्या में विलम्ब का अंतराल	31 मार्च 2018 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्र	
	संख्या	राशि
0-1	2,162	13,722.79
1-5	3,554	7,267.67
5 से अधिक	1,793	351.65
	7,509	**21,342.11**

तालिका 1.3 में दिए गए, ₹21,342.11 करोड़ की राशि के 7,509 बकाया उपयोग प्रमाणपत्र मुख्य रूप से सात मंत्रालयों/ विभागों से संबंधित हैं। ये कुल बकाया यूसी का 97.71 प्रतिशत है, जो मूल्य में कुल बकाया राशि का 99.60 प्रतिशत है। मार्च 2018 को

सात मंत्रालयों/विभागों से संबंधित बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों, जो महत्वपूर्ण मौद्रिक मूल्य के हैं, की स्थिति नीचे तालिका 1.3 में दी गई है:

तालिका 1.3: 31 मार्च 2018 को बकाया उपयोग प्रमाणपत्र।

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	मार्च 2017 तक	
		संख्या	राशि
1.	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	1,352	17,656.50
2.	वस्त्र मंत्रालय	5,533	2,882.71
3.	पर्यटन मंत्रालय	47	302.05
4.	पोत परिवहन मंत्रालय	32	141.72
5.	वाणिज्य विभाग	28	124.20
6.	भारी उद्योग विभाग	22	75.10
7.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	323	74.23
	कुल	**7,337**	**21,256.51**

1.6 केन्द्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) द्वारा लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

संसद के पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेजों की समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन (1975-76) में यह अनुशंसा की थी कि प्रत्येक स्वायत्त निकाय (एबी) को लेखा वर्ष (वित्तीय वर्ष) समाप्त होने के तीन माह के अंदर अपने लेखों को अंतिम रुप देना/तैयार कर लेना चाहिए तथा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। यह सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के नियम 237 में भी निर्दिष्ट है।

निम्न तालिका 1.4 सीएबी द्वारा 2016-17 के लेखे लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कराने में विलंब प्रदर्शित करती है:

तालिका 1.4: लेखा प्रस्तुत करने में विलंब

विलंब अवधि	एक माह तक का विलंब	एक से तीन माह तक का विलंब	तीन से छः माह तक का विलंब	छः माह से ऊपर का विलंब
सीएबी की संख्या	15	7	6	5

परिशिष्ट-III में ऐसे सीएबी का विवरण दिया गया है जिनके लेखे दिसंबर 2017 को तीन माह से अधिक समय से बकाया थे।

1.7 संसद के दोनों सदनों के समक्ष सीएबी के लेखापरीक्षित लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

समिति ने यह भी अनुशंसित किया था कि एबी के लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के अन्दर अर्थात अगले वितीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक संसद के समक्ष रखे जायेंगे।

सितम्बर 2018 को लेखापरीक्षित लेखों को संसद के समक्ष रखे जाने की स्थिति को तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: संसद में लेखापरीक्षित लेखों को रखे जाने की स्थिति

लेखा वर्ष	सीएबी की संख्या जिन के लेखापरीक्षित लेखों को जारी किया गया लेकिन संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया	नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षित लेखों की संख्या
2012-13	1	1
2013-14	2	4
2014-15	2	4
2015-16	2	5
2016-17	4	12

ऐसे सीएबी के विवरण जिनके लेखापरीक्षित लेखे संसद के समक्ष नहीं रखे गये या नियत तिथि के बाद रखे गये उनके विवरण क्रमशः **परिशिष्ट-IV** तथा **परिशिष्ट-V** में दिये गये हैं।

1.8 लेखापरीक्षा प्रमाणन के परिणाम

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) तथा 20(1) के अन्तर्गत लेखापरीक्षित सीएबी के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रमाणित अन्तिम लेखों के साथ सलंग्न किये जाते हैं जो कि संबंधित मंत्रालयों द्वारा संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं।

सीएबी के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ **परिशिष्ट- VI** में दी गई हैं। 2017-18 के लिए सीएबी के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाई गयी महत्वपूर्ण कमियाँ निम्नवत हैं :-

(क) 10 सीएबी की आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी। **(परिशिष्ट-VII)**

(ख) 11 सीएबी की स्थायी परिसंपतियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया। **(परिशिष्ट-VIII)**

(ग) पाँच सीएबी की वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। **(परिशिष्ट-IX)**

(घ) चार सीएबी में अनुदानों का लेखांकन वसूली/नकद आधार पर हो रहा था जो कि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखों के समान प्रारूप के अनुसार नहीं पाए गए। **(परिशिष्ट-X)**

(ड़) 12 सीएबी ने उपदान एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए लेखाकंन बीमांकिक मूल्याकंन आधार पर नहीं किया था। **(परिशिष्ट-XI)**

(च) एक सीएबी यानी न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

(छ) लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप पाँच सीएबी के लेखे संशोधित किये गए। **(परिशिष्ट-XII)**

1.9 लम्बित एटीएन की स्थिति

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने 17 अगस्त 1995 को संसद को प्रस्तुत अपने 105 वें प्रतिवेदन (दसवीं लोक-सभा 1995-96) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 के उपरान्त, सदन के पटल पर प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से चार माह की अवधि के अन्दर, सीएंडएजी के प्रतिवेदन में शामिल सभी पैरों पर अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणियाँ (एटीएन), वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के माध्यम से समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। तदुपरान्त, व्यय विभाग के अन्तर्गत एक अनुवीक्षण प्रकोष्ठ सृजित किया गया जिसे सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से जाँचे हुए एटीएन का समन्वयन व संग्रहण करने तथा उन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संसद में प्रस्तुतीकरण की तिथि से निर्धारित चार माह के अन्दर पीएसी को भेजने का कार्य प्रदान किया गया।

मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि तक संघ सरकार (सिविल) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों पर एटीएन की स्थिति की समीक्षा ने दर्शाया कि छः पैरे थे जिन पर एटीएन को मंत्रालयों/विभागों द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना था। बाद में इन एटीएन को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया, हालांकि किसी भी एटीएन का

30 नवंबर 2018 को निपटान नहीं किया गया था तथा वे संबंधित मंत्रालयों/विभागों से पत्राचार के विभिन्न चरणों में थे।

30 नवम्बर 2018 को बकाया एटीएन के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट-XIII** में इंगित हैं।

1.10 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने पीएसी की अनुशंसाओं पर जून 1960 में सभी मंत्रालयों को सीएंडएजी के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने हेतु प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर अपने प्रत्युत्तर छः सप्ताह के अन्दर भेजने का निर्देश जारी किया। यह समयसीमा, सीएंडएजी द्वारा बनाये गये लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 के पैरा 207(1) में भी निर्दिष्ट है। ड्राफ्ट पैराग्राफ संबंधित मंत्रालयों/विभागों को लेखापरीक्षा परिणामों पर ध्यान आकर्षित करते हुए तथा छः सप्ताह में अपने प्रत्युत्तर भेजने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किये जाते हैं। इस प्रतिवेदन में 24 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के उत्तर 16 पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रत्युत्तरों को यथोचित रुप से प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है (सितम्बर 2019)।